जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.08.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कैराना-अलीपुर मार्ग बंबा पुलिया के पास हुयी पुलिस मुठभेड़ में 01 गौ-तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, 01 जिन्दा गौवंश(बछड़ा) एवं प्रतिबन्धित पशु कटान के उपकरण बरामदः-

आज दिनांक 19.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस को चैकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कैराना-अलीपुर मार्ग बंबा पुलिया के पास गौ-तस्कर प्रतिबन्धित पशु की गौकशी की घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना कैराना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर पुलिस मुठभेड में 01 गौ-तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में गौ-तस्कर घायल हुआ हैं। घायल को उपचार हेतु सीएचसी कैराना भेजा गया है। मुठभेड में घायल बदमाश के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 जिन्दा गौवंश(बछड़ा) एवं प्रतिबन्धित पशु कटान के उपकरण बरामद हुये है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त का एक अन्य साथी फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंसार पुत्र अमीर उर्फ आमिर निवासी मौहल्ला छड़ियान थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंसार उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 402/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 64/2014 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 424/2015 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 162/2020 धारा 269/428 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 500/2022 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0 501/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
7.मु0अ0सं0 502/2022 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 504/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
9.मु0अ0सं0 288/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
10.मु0अ0सं0 439/2023 धारा 5/8/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 276/2024 धारा 11/3 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध एक तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.एक जिन्दा गौवंश(बछड़ा)।

3.प्रतिबन्धित पशु कटान के उपकरण (01 कुल्हाडी, 01 छुरा)।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर को मादक पदार्थ की तस्करी मे किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 किलो डोडा चूर्ण बरामदः-

आज दिनांक 19.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर को मादक पदार्थ की तस्करी में अवैध 05 डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 15.06.2024 व दिनांक 25.06.2024 को हुई चोरी की घटना में अभियुक्त आरिफ वांछित चल रहा था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आरिफ उर्फ काला पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त।

1.मु0अ0सं0 211/2021 धारा 3/5ए/5 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 121/2021 धारा 414/465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 100/2020 धारा 414/465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 97/2020 धारा 379/411/465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 88/2020 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 049/2022 धारा 414/465 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 48/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 23/2020 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 260/24 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 247/24 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 332/24 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) 05 किलो।

<u>थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे अवैध हथियार बरामदः-</u>

आज दिनांक 19.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा(मस्कट) 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सागर पुत्र दिनेश निवासी मौहल्ला संजयनगर कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 तमंचा(मस्कट) 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 16,000 रुपये की नगदी व एक कपड़े का थैला (जिसमें 02 लोअर, 01 शर्ट, 01 जींस पैन्ट, व 03 टीशर्ट) बरामदः-

आज दिनांक 19.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण को चोरी के 16,000 रुपये की नगद व एक कपड़े का थैला (जिसमें 02 लोअर, 01 शर्ट, 01 जींस पैन्ट, व 03 टीशर्ट) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.08.2024 को वादी श्री किन्सु अरोड़ा पुत्र सुरेन्द्र अरोडा निवासी मौहल्ला नया बजार शामली ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध वादी की दुकान अरोड़ा कलेक्शन से गल्ले में रखी हुई नगदी व कुछ कपड़े चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर व दिनांक 05.08.2024 को वादी सुरेशचन्द्र जैन पुत्र कालूराम निवासी शामली ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध जवाहरमंडी गेट में स्थित किरयना की दुकान में सेंध लगाकर दुकान के गल्ले में रखी नकदी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दी थी। पीडितों की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नितेश पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम बुटाराडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.निखिल पुत्र बंसल सिंह निवासी ग्राम पंजोखरा थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की हुई नकदी (16,000/- रुपये)।

2.एक कपड़े का थैला (जिसमें 02 लोअर, 01 शर्ट, 01 जींस पैन्ट, व 03 टीशर्ट)।

जनसुनवाई
अधिकारी
PAN MASALA

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 1500 रुपये की नगदी बरामदः-</u>

आज दिनांक 19.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी का सामान बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 1500 रुपये नगद सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना कैराना पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.08.2024 को वादी शादाब पुत्र इरशाद निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली ने ग्राम भूरा में स्थित अपने जिम से दो बैटरे, एक इन्वेटर व एक एलसीडी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद तहरीर दाखिल की गई थीं। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.निसार पुत्र युसूफ निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी का सामान बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 1500 रुपये नगद।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 19.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-</u>

1.कदीर पुत्र नसीर निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.नसीर पुत्र जमातअली ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।